लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

नई दिल्ली, दिनांक–03.02.2021

(प्रल्हाद जोशी)
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
प्रल्हाद जोशी / PRALHAD JOSHI
संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री
Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

**वर्ष 2019-20 के लिए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की 48वीं वार्षिक रिपोर्ट – सरकार द्वारा समीक्षा**

**1.0 पृष्ठभूमि :**

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बीजीएमएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय कोलार गोल्ड-फील्ड, कर्नाटक में है, को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत तत्कालीन प्रशासनिक इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग के अधीन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में 01 अप्रैल, 1972 को निगमित किया गया था ताकि भारत सरकार के स्वामित्व तथा विभागीय रूप से प्रबंधित कोलार गोल्ड माइंस उपक्रमों की परिसंपत्तियों, देयताओं तथा अधिकारों, खनन पट्टों, यदि कोई हो, को अधिगृहित और अधिप्राप्त किया जा सके। यह कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक की कैप्टिव खानों तथा आंध्र प्रदेश में पट्टा भूमियों से स्वर्ण के उत्पादन हेतु खनन में लगी हुई थी। तत्पश्चात, इस कंपनी ने अन्य पीएसयू और निजी खनन कंपनियों के लिए खान निर्माण और उपकरण संबंधी कार्य करने, खनन एवं इंजीनियरी उपकरणों के विनिर्माण का विविधीकरण किया।

**2.0 निवेश :**

कंपनी की 31.03.2020 को अधिकृत पूंजी तथा प्रदत्त पूंजी क्रमश: 60.00 करोड़ रू. तथा 51.06 करोड़ रू. थी। संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में है। दिनांक 31.3.2020 को कंपनी की बकाया राशि भारत सरकार ऋण तथा ब्याज की देयताएं 86.07 करोड़ रू. (योजना ऋण) तथा 133.15 करोड़ रू. (गैर-योजना ऋण) एवं सरकारी ऋण पर अर्जित ब्याज 1500.10 करोड़ रू. थी। दिनांक 31.03.2020 को कंपनी का शुद्ध मूल्य नकारात्मक (-) 2061.66 करोड़ रू. है।

**3.0 कंपनी का समापन**

3.1 बीजीएमएल कंपनी शुरू से ही नुकसान उठा रही थी और वर्ष 1992 में इसका शुद्ध मूल्य नकारात्मक हो गया तथा उसे रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए 1985) के प्रावधानों के अधीन 'रूग्ण' घोषित कर दिया गया और औद्योगिक तथा वित्तीय विनिर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेज दिया गया था। बीआईएफआर ने लंबे विचार-विमर्श के बाद एसआईसीए, 1985 की धारा 20(1) के अधीन कंपनी को लोक हित में

बंद करने के लिए 12 जून, 2000 को यह विचार करते हुए राय दी कि बोर्ड के विचार हेतु पूर्णत: वित्तपोषित साधनों के साथ कोई व्यवहार्य पुर्नरूद्धार पैकेज प्रस्तुत नहीं किया गया। बीआईएफआर के इस निर्णय को नवंबर, 2000 में औद्योगिक तथा वित्तीय विनिर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) द्वारा सही माना गया था। बीआईएफआर ने अपनी राय आवश्यक कार्रवाई के लिए 30.06.2000 को रजिस्ट्रार जनरल, कर्नाटक उच्च न्यायालय को अग्रेषित की और उसे कंपनी याचिका 180/2000 द्वारा पंजीकृत किया गया था।

3.2 इसी बीच, कंपनी को 01.03.2001 से बंद करने के लिए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अंतर्गत अनुमति प्रदान की। बीजीएमएल का प्रचालन 01.03.2001 से बंद हो गया।

3.3 माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कर्मचारी संघों और अन्यों द्वारा दायर की गई विभिन्न रिट याचिकाओं का निपटान करते समय अपने दिनांक 26.09.2003 के आदेश के द्वारा बीआईएफआर के मत को मानते हुए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति को सही माना तथा कर्मचारियों के लिए किए गए कुछ राहत उपायों की सिफारिश की।

3.4 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई, 2006 में (i) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारियों, जो कंपनी के बंद होने के वक्त सेवा में थे, के लिए एक स्पेशल टर्मिनल बेनिफिट पैकेज (एसटीबीपी), प्रस्ताव (ii) उच्च न्यायालय द्वारा यथा संस्तुत रियायती दरों पर मकानों/क्वार्टरों की बिक्री और (iii) बीजीएमएल की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित करने को अनुमोदित किया है।

3.5 बीजीएमएल के खनन पट्टों से संबंधित कुछ कानूनी मामलें विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं।

3.6 वर्तमान में, खान मंत्रालय केजीएफ खनन पट्टा क्षेत्र का गवेषण एवं बीजीएमएल टेलिंग डम्प्स का प्रसंस्करण क्रमश: खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) तथा अलौह प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एनएफटीडीसी) के माध्यम से करा रहा है। एमईसीएल ने बीजीएमएल के बेत्रास्वामी ब्लॉक में गवेषण शुरू किया है। एमईसीएल मार्च, 2020 के अंत तक अंतिम गवेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एनएफटीडीसी ने बीजीएमएल के टेलिंग डम्प्स का प्रारंभिक प्रसंस्करण किया है और स्वर्ण एवं संबंधित विरले भू-तत्वों के साथ वुल्फ्रामाइट पाए हैं। प्रायोगिक संयंत्र प्रसंस्करण बीजीएमएल टेलिंग ने 6 नवंबर, 2020 को प्रचालन शुरू किया एवं 10 टन सैम्पल प्रसंस्करण का पहला परिणाम जल्द आ जायेगा। बीजीएमएल के संबंध में किसी भावी कार्रवाई का खान टेलिंग रिपोर्ट के गवेषण/बेनेफिशियेशन परिणामों तथा अनुवर्ती टेक्नो व्यापारिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर ही निर्णय लिया जा सकता है।

**4.0 <u>बोर्ड का गठन</u>:**

कंपनी के मामलों का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें निम्नलिखित अतिरिक्त प्रभार दिया गया है:

i) प्रबंधक निदेशक/बीजीएमएल के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए एसीसी प्रस्ताव में डॉ. रंजीत रथ, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/एमईसीएल का नाम भेजा गया है।

ii) श्री अरूण गोयल, महाप्रबंधक (वित्त), खनिज गवेषण लिमिटेड को बीजीएमएल के निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार ।

iii) सुश्री फरीदा एम नाईक, निदेशक, खान मंत्रालय, भारत सरकार को बोर्ड में सरकारी मनोनीत निदेशक के तौर पर ।

iv) डॉ. वीणा कुमारी, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार को बोर्ड में सरकारी मनोनीत निदेशक के तौर पर ।

**5.0 जनशक्ति:**

सभी 3580 कर्मचारी जो 28.02.2001 को कंपनी की सेवा में थे, की सेवाएं 1.3.2001 से समाप्त कर दी गई थी और उनके सेवांत लाभों को भी निपटा दिया गया है। कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और तकनीकी मामलों की देख रेख के लिए, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के एक वरिष्ठ अधिकारी को बीजीएमएल में पूर्णकालिक आधार पर विशेष कार्य अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, सेवानिवृत के पश्चात उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। सुरक्षा सेवाओं (165 व्यक्ति) को आउटसोर्स किया गया है। सुरक्षा एजेंसी के कार्यों की निगरानी के लिए, सीमा सुरक्षा बल से प्रतिनियुक्ति आधार पर एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी-सह-एस्टेट अधिकारी को नियोजित किया गया है। इन दोनों अधिकारियों की सहायता के लिए अनुबंध शर्तों के आधार पर बीजीएमएल के 4 भूतपूर्व कर्मचारी/अधिकारी और आउटसोर्सिंग से 2 लिपिक कर्मचारी तैनात किये गये हैं।

*****